IV 182/4

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA
रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES
पाँच सौ रुपये Rs. 500
सत्यमेव जयते
INDIA NON JUDICIAL

13 SEP 2016

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF 134099

22883

न्यास–पत्र

न्यास का नाम :– नीलमराज एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट

श्रीमती मनीठाकुर (आ0का0नं0–XXXX XXXX 0496 VID No- 9191 0784 9925 6574), पुत्री स्व0 छोटेलाल सिंह निवासी–एस 789 सत्यप्रेमीनगर शहर व परगना व तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी **(मुख्य न्यासी एवं अध्यक्ष)**

एवं

नीलमणी श्रीवास्तव पुत्र श्री राज कुमार श्रीवास्तव निवासी मोहल्ला एस/157 मोहल्ला सरावगी शहर व परगना व तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी हम कि **(न्यासी एवं प्रबंधक)**

क्रमांक ...2800... दिनांक ...05/10/19

कीमत ...[illegible]... शा0नं0 ...

नाम [illegible]

निवासी [illegible]

परगना [illegible]

तहसील [illegible]

जनपद [illegible]

विकास सोनी स्टाम्प विक्रेता

ला0नं0-135

[illegible] नवाबगंज बाराबंकी

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

BARABANKI

23 SEP 2019

Chief Cashier

FA 803703

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(2)

विदित होवे कि हम पक्षकारान सार्वजनिक हित, युवा उत्थान एवं शिक्षा प्रचार हेतु एक न्यास का गठन किया है जो निम्नवत हैः-

01. यह कि न्यास का नाम **नीलमराज एजूकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट** है।

02. जो कि न्यास का गठन अकिन 10000/- रुपया से आरम्भ किया जा रहा है। न्यास गठन के समय इसमें कोई भी अचल सम्पत्ति सम्मिलित नहीं की गई है।

Harishafur.

क्र० सं० 2797 दिनांक 05/10/19
रु० 100 ला०नं० 2792

निवासी
ग्राम
तहसील
जनपद
विकास सोनी स्टाम्प विक्रेता
ला०नं०-135
कचहरी एवं निबन्धक नवाबगंज बाराबंकी

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

23 SEP 2019

FA 803704

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(3)

03. यह कि हम मुकिरान द्वारा स्थापित उक्त न्यास का रजिस्टर्ड कार्यालय **मकान नं0 1 ग्राम सुल्तानपुर रायल ब्लू स्कूल के पीछे** थाना मसौली परगना व तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी में स्थित होगा। उक्त न्यास के कार्यों को सुचारु रूप से सम्पादित करने तथा इसके उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति के बाबत इसके कार्यालय देश व प्रदेश की राजधानी व विश्व के अन्य स्थानों पर स्थापना की जायेगी और उन कार्यालयों के पते पर न्यास मजकूर द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं व समितियों का पंजीकरण भी आवश्यकतानुसार कराया जा सकेगा। न्यास का कार्य क्षेत्र विश्व कल्याण की दृष्टि से सम्पूर्ण विश्व होगा।

Hari Shafur.

क्रमांक... 2795 दिनांक... 05/10/19
रु... 100/- ...शा०नं० 2792
....
निवासी.....................................
ग्राम.......................................
तहसील......................................
जनपद.......................................
विकास सोनी स्टाम्प विक्रेता
ला०नं०-135
कोषागार उप निबन्धक महाराजगंज बाराबंकी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

BW 977380

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(4)

04– यह कि हम मुकिरान न्यास मजकूर के संस्थापक होंगे तथा कमशः न्यास के मुख्य न्यासी अध्यक्ष तथा न्यासी प्रबन्धक भी कहे जायेंगें। हम मुकिरान द्वारा मुख्य न्यासी को संयुक्त रूप से न्यास मण्डल कहा जायेगा।तथा इसके पहले न्यास पत्र दिनांक 25–7–2013 बही संख्या–4 जिल्द सं0– 184 पृष्ठ सं0– 59 से 92 पर कमांक 70 उपनिबन्धक नवाबगंज, बाराबंकी के यहां रजिस्ट्रीकृत है जिसमें नीलमणी श्रीवास्तव मुख्य न्यासी एंव अध्यक्ष थे तथा श्रीमती मनी ठाकुर न्यासी एंव प्रबन्धक थीं।

Mani Thakur

क्रमांक 3790 दिनांक 3/11/14

मूल्य 10 शामिल नं0

नाम नीलम राज एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट

पता मंत्री द्वारा श्री छोटे लाल सिंह

अखिलेश अनु0 सं0 166 एडवोकेट

कार्य

3/11/14

नकलकर्ता

बाराबंकी

05. न्यास के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :–

01. समाज के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक विकास हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु कार्य करना।

02. निर्बल एवं असहाय के उत्थान में सहयोग करने के लिये प्रोत्साहन कार्यक्रम बनाना तथा संचालन करना।

03. अकाल, सूखा, बाढ तथा साम्प्रदायिक एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त क्षेत्रों में सहायता कार्य करना।

04. शिक्षा एवं जीवनोपयोगी ज्ञान का प्रचार–प्रसार तथा आम जनता में चेतना जागृत कर उन्हें शिक्षित एवं रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर आत्म निर्भर बनाना।

05. आम जन को परिश्रम करके धन अर्जन के लिये प्रोत्साहित करना तथ न्यास की योजनाओं से अन्य लोगों को जोड़कर नेटवर्क के आधार पर कार्य करना तथा युवाओं व शिक्षित बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिये विभिन्न योजनाओं का संचालन करना।

06. समाज के लोगों के लिये उनके उत्थान से सम्बन्धित समस्त कार्य जो राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों को गतिशील करने व स्थानीय समस्याओं को दूर करने में सहयोगी हो, उनको आयोजित कर सामाजिक जागरूकता पैदा करना।

उत्तर प्रदेश

07. नवयुवक, नवयुवतियों व छात्र छात्राओं को रचनात्मक दिशा देने एवं उनके सर्बांगगीण विकास के लिये प्राथमिक जूनियर हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट व स्नातक, परास्नातक स्तर के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना।

08. वर्तमान समय में विज्ञान के जनजीवन का आवश्यक एवं अनिवार्य अंग होने की स्थिति को देखते हुए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सूचना विज्ञान एवं कम्प्यूटर तकनीक पर आधारित होने के कारण इससे सम्बन्धित ज्ञान को जिज्ञासुओं व प्रशिक्षणार्थियों को अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से उपलब्ध कराना।

09. न्यास के माध्यम से पिछड़े क्षेत्रों में महिला कल्याण केन्द्र, वाचनालय, बी0एड0, बी0टी0सी0, लॉ, संगीत, ड्रामा कॉलेजों एव अन्य कल्याण केन्द्रों की स्थापना करना।

10. सदस्यों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित करने एवं राष्ट्रीय चरित्र निर्माण हेतु समय–समय पर खेल–कूद तथा सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक विषयों पर विचार गोष्ठी का आयोजन करना।

11. सदस्यों में सहकारिता एवं सहभागिता की भावना को विकसित कराना।

12. निराश्रित अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं गरीब व असहाय बच्चों के लिये उच्च तकनीकी शिक्षा कम खर्च में उपलब्ध कराना।

13. सामाजिक आसमानता को मिटाने के लिये धार्मिक तथा समाज सुधार के कार्यक्रमों को आयोजित करना तथा इस हेतु कैम्प एवं सेमीनार का आयोजन करना।

Hari Shankar.

14. युवकों के कल्याण हेतु यथासम्भव प्रयास करना एवं उनके लिये विविध कार्यक्रमों का संचालन करना तथा हर स्तर के छात्रों एवं छात्राओं के अध्ययन व आवास के समस्या के निराकरण हेतु छात्रावासों का निर्माण करना।
15. भारतीय नागरिकों के कल्याणार्थ ऐसे सभी कार्य करना जो न्यास मण्डल संकल्पित करें जैसे मद्यनिषेध कार्यक्रम, परिवार नियोजन एवं एड्स रोग की रोकथाम, विकलांगता दूर करना, कुष्ठ निवारण कार्यक्रम उत्थान के कार्यक्रम आदि।
16. पर्यावरण सुरक्षा से संबन्धित हर सम्भव प्रयास करना। प्रदूषण नियंत्रण हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की व्यवस्था तथा पशु पक्षियों एवं जानवरों के ऊपर हो रहे अत्याचारों को रोकने हेतु प्रयास करना।
17. पीड़ित व्यक्तियों को सर्वसुलभ सस्ती चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिये चिकित्सालय की स्थापना व संचालन करना तथा इससे सम्बन्धित विभिन्न विधाओं की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वैदिक, नैचुरोपैथिक कॉलेजों की स्थापना एवं संचालन करना।
18. अंधापन, घेंघापन, क्षयरोग, कुष्ठरोग, कैन्सर एवं एड्स से पीड़ित व्यक्तियों को चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने से सम्बन्धित कार्यों को करना तथा उक्त लोगों से बचाव के लिये जागरूकता अभियान चलाना।

Hari Thakur.

19. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रचार–प्रसार के लिये इससे सम्बन्धित समस्त कार्यों को करनां तथा विभिन्न स्तर के तकनीकी शिक्षा को उपलब्ध कराने के लिये इंजीनियरिंग, फार्मेसी, पैरा मेडिकल साईन्सेज मैनेजमेन्ट, आर्किटेक्चर, फैशन टैक्नोलॉजी, बायो टैक्नोलॉजी, नैनो टैक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, आई0टी0आई0, पॉलीटेक्निक, डेरी टेक्नोलॉजी, एप्लॉईड आर्टस एवं क्राफ्ट के कालेजों को खोलना तथा आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना।
20. सामान उद्देश्यों की अन्य संस्थाओं से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करना तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करना।
21. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा इसके विभिन्न इकाईयों की सुचारु व्यवस्था के लिये अन्य संस्थाओं की स्थापना करना तथा इसके लिये समितियों एवं उपसमितियों का गठन करना।
22. न्यास की अधीन संस्थाओं व समितियों के सुचारु रूप से संचालन के लिये समिति पंजीकरण अधिनियम के अनुसार उनकी अलग नियमावली तथा उपनियमों को बनाना।
23. न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं व समितियों की सदस्यता के लिये विभिन्न प्राविधानों को लिखित रूप में तैयार करना तथा इसके लिये धन की व्यवस्था हेतु सदस्यता शुल्क, दान, चन्दा इत्यादि निर्धारित करना तथा उनकी प्रबन्ध इकाईयाँ गठित करना।
24. न्यास के अधीन चलने वाली संस्थाओं को संचालित करने एवं उनकी व्यवस्था के लिये लाभार्थियों से शुल्क प्राप्त करना।

Hari Shankar

25. न्यास की सम्पत्ति के क्रय विक्रय के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी/सक्षम न्यायालय की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त क्रय विक्रय किया जायेगा।
26. न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियों में अनियमितता की स्थिति उत्पन्न होने तथा किन्हीं आकस्मिक परिस्थितियों में उसके संचालन के बाबत गठित समिति को भंगकर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था न्यास में निहित करना।
27. न्यास के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं, विद्यालयों, शिक्षण केन्द्रों, चिकित्सालयों अन्य समस्त समितियों के लिये आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करना और इस प्रकार नियुक्ति कर्मचारियों के लिये आचरण एवं व्यवहार नियमावली तैयार करना और अनके हित में अन्य कार्यों को करना।
28. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये तथा न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं के हित में व्यक्तियों, संस्थाओं, सरकारी, अर्द्ध सरकारी, गैर सरकारी, विभागों से दान, उपहार, अनुदान व अन्य रूप में धन व सम्पत्तियों को प्राप्त करना तथा विभिन्न माध्यमों से न्यास के लिये सम्पत्ति की व्यवस्था करना और आवश्यकतानुसार न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये खर्च करना।
29. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों/विश्वबैंक/विदेशी बैंकों से अनुदान तथा ऋण प्राप्त करना।

Mani Shankar.

उत्तर प्रदेश

30. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये न्यास मण्डल द्वारा संकल्पित समस्त कार्यों को करना।

06. न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था निम्नलिखित रूप से की जायेगी

क. न्यास के मुख्य न्यासी आजीवन अध्यक्ष होंगे जिन्हें अपने जीवन काल में अगले मुख्य न्यासी को नामित करने का अधिकार होगा। यदि किन्हीं परिस्थितियों में इस प्रकार अगले मुख्य न्यासी की नियुक्ति किये जाने से पूर्व मुख्य न्यासी की मृत्यु हो जाये तो उसके विधिक उत्तराधिकारी स्वमेव न्यास के मुख्य न्यासी हो जायेंगे, किन्हीं परिस्थिति में यदि एक से ज्यादा विधिक उत्तराधिकारी हो तो उनमें से मुख्य न्यासी की नियुक्ति न्यास मण्डल के शेष सदस्यों द्वारा उनके योग्यता एवं न्यास हित में कार्य करने की क्षमता को देखते हुए की जायेगी।

ख. मुख्य के अनुपस्थिति, बीमारी या कार्य करने की अक्षमता आदि की अवस्था में प्रबन्धक न्यासी स्वतः मुख्य न्यासी के कार्यों के सम्पादन हेतु विधिक रूप से अधिकृत होंगे।

Mani Shafur

ग. न्यास मण्डल के किसी अन्य सदस्यों को उनके द्वारा न्यास के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने अथवा न्यास के हितों के विपरीत आचरण करने की दशा में न्यास मण्डल द्वारा उन्हें न्यास से पृथक कर दिया जायेगा और उनके स्थान पर सुयोग्य एवं हितैषी व्यक्ति को न्यास मण्डल की बहुमत से न्यासी के रूप में संयोजित कर लिया जायेगा। मुख्य न्यासी अति विशेष परिस्थितियों में मुख्य न्यासी अध्यक्ष तथा न्यासी, प्रबंधक, संयुक्त रूप से आपसी सहमति के आधर पर ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य किसी भी वैज्ञानिक, डॉक्टर, व्यापारी, उद्योगपति, इंजीनियर तथा सामाजिक कार्यकर्ता को न्यासी के रूप में रख सकते हैं, तथा वे न्यास मण्डल के स्वतः सदस्य कहलायेंगे।इस विषय में मुख्य न्यासी का निर्णय अन्तिम होगा।

घ. यदि कोई न्यासी इस न्यास के पृथक नहीं किया जाता है तथा उसे न्यास मण्डल के सदस्य के रूप में आजीवन कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा और उनकी मृत्यु या स्वेच्छा पद त्याग करने की स्थिति में मुख्य न्यासी द्वारा उनके विधिक उत्तराधिकारी को न्यास मण्डल की राय से न्यासी के रूप में सम्मिलित करने का अधिकार होगा। न्यासी के किसी विधिक उत्तराधिकारी के न्यास मण्डल में शामिल होने की योग्यता न रखने अथवा न्यास मण्डल में सम्मिलित होकर उनके द्वारा कार्य करने में असमर्थता व्यक्त करने पर न्यास मण्डल द्वारा किसी अन्य हितैषी व्यक्ति को न्यास मण्डल का सदस्य बनाया जा सकेगा।

Hari Thakur

ङ. न्यास मण्डल की वर्ष में एक बार वार्षिक बैठक आवश्यक होगी उक्त वार्षिक बैठक में न्यास के अधीन संचालित सभी संस्थाओं, समितियों तथा नेटवर्क कार्यक्रमों के प्रबंधक/सचिव व प्रधान तथा अन्य पदाधिकारीगण भी भाग लेंगे। वार्षिक बैठक की सूचना उक्त सभी व्यक्तियों को 15 दिन पूर्व मुख्य न्यासी अथवा न्यास प्रबंधक द्वारा दी जायेगी और उपरोक्त सभी व्यक्तियों का वार्षिक बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। वार्षिक बैठक में अनुपस्थिति व बैठक में भाग न लेने वाले सदस्यों की यह अयोग्यता समझी जायेगी। कोई भी व्यक्ति मुख्य न्यासी की पूर्व अनुमति से ही वार्षिक बैठक से अनुपस्थित हो सकता है।

च. वार्षिक बैठक में न्यास के वर्ष भर के कार्य–कलापों पर विचार होगा और आय–व्यय पर विचार कर न्यास का बजट निर्धारित किया जायेगा। विचारोपरान्त बहुमत से पारित निश्चित एवं निर्णय पर न्यास मण्डल का फैसला अंतिम होगा।

छ. न्यास मण्डल के किसी सदस्य का कार्य आचरण /व्यवहार ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत पाया जाता है तो मुख्य न्यासी न्यास मण्डल से उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। इस विषय में (सदस्यता समाप्ति)मुख्य न्यासी का निर्णय अन्तिम होगा।

उत्तर प्रदेश

न्यास का कोष :-

क. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये न्यास का अपना एक कोष होगा जिसमें सभी प्रकार की सदस्यता शुल्क नेटवर्क के सम्बन्ध में प्राप्त योगदान, दान, अनुदान, चन्दा एवं सरकारी, गैर सरकारी प्रतिष्ठानों से प्राप्त राशियाँ एवं ली गयी ऋण राशियाँ निहित होंगी।

ख. न्यास के कोष की व्यवस्था के लिये उसका खाता किसी डाकघर या रजिस्ट्रीकृत / निजी / मान्यता प्राप्त बैंक में खोला जायेगा जिसका संचालन मुख्य न्यासी द्वारा स्वयं अकेले अथवा किसी अन्य न्यासी अथवा प्रबंधक के साथ संयुक्त रूप से किया जा सकेगा।

न्यास के अभिलेख :-

न्यास के अभिलेखों को तैयार कराने व रख-रखाव का दायित्व मुख्य न्यासी द्वारा प्रमुख रूप से न्यास के लिये सूचना रजिस्टर, कार्यवाही, सम्पत्ति रजिस्टर व लेख का रजिस्टर इत्यादि रखा जायेगा।

07. **न्यास के सम्पत्ति की व्यवस्था निम्नलिखित रूप से की जायेगी :-**

क. यह कि न्यास मण्डल द्वारा न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु वित्तीय संस्थाओं व बैंकों इत्यादि से दान, सहायता या ऋण इत्यादि लिया जा सकेगा और अन्य किसी भी उचित एवं वैधानिक माध्यम से न्यास की आय बढ़ाया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में न्यास की ओर से दस्तावेज निष्पादित करने के लिये मुख्य न्यासी व एक अन्य न्यासी मुख्य न्यासी उचित समझे अधिकृत होंगे।

ख– यह कि मुख्य न्यासी अथवा प्रबन्धक न्यासी न्यास की ओर से स्थापित संस्थाओं एंव सम्पत्तियों को संचालित करने के लिए भूमि एंव भवन कय कर सकेगें या किसी भी चल या अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकेगें। मुख्य न्यासी न्यास की सम्पत्ति या सम्पत्तियों को किराये पर दे सकेगा।

ग– यह कि न्यास की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने या दुरूप्रयोग करने वालों को दण्डित करने का अधिकार मुख्य न्यासी को प्राप्त होगा। न्यास व उसके अधीन संस्थाओं एंव समितियों के अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्व मुख्य न्यासी द्वारा की गयी कार्यवाही की अपील न्यास मण्डल द्वारा सुनी जायेगी।

08– यह कि आय–व्यय व लेखा के परीक्षण हेतु मुख्य न्यासी द्वारा लेखा परीक्षण की नियुक्ति की जा सकेगी।

09– न्यास द्वारा या न्यास के विरूद्व कोई भी वैधानिक कार्यवाही का संचालन न्यास के नाम से की जायेगी जिसकी पैरवी न्यास की ओर से मुख्य न्यासी द्वारा अथवा मुख्य न्यासी के अनुपस्थिति में न्यासी प्रबन्धक द्वारा की जायेगी।

Mani Thakur

आवेदन सं०: 201900898029050

न्यास पत्र

वर्ष: 2019

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 182

प्रतिफल- 10000 स्टाम्प शुल्क- 750 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 200 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 100 योग : 300

श्रीमती नीलमराज एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा मुख्य न्यासी एवं अध्यक्ष मनीठाकुर ,
पुत्री श्री स्व०छोटेलाल सिंह Mani Thakur .
व्यवसाय : व्यापार
निवासी: एस- 789 सत्यप्रेमीनगर शहर व पर० व तह० नवाबगंज जि०बाराबंकी

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 23/12/2019 एवं 02:30:12 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(प्र०) एस० बी० सिंह
उप निबंधक :सदर
बाराबंकी
23/12/2019

वीना झां .
निबंधक लिपिक

10. न्यास के अधीन स्थापित [illegible] समितियों के पदाधिकारियों एवं [illegible] नियुक्ति तथा उनके सेवा शर्तों एवं सेवा सुविधाओं का निर्धारण भी न्यास मण्डल के अधीन होगा। न्यास मण्डल बहुमत से स्वयं उनके कार्यों को करेगा अथवा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को इस हेतु नियुक्त करेगा। इसके अतिरिक्त न्यास अपने सम्पत्ति के प्रबंध एवं प्रतिदिन के कार्य हेतु वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा।
11. न्यास मण्डल, न्यास के लिये वह सभी कार्य करेगा जो न्यास के हितों के लिये आवश्यक हो तथा न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो।
12. न्यास के अधीन समस्त संस्थाओं के पत्राचार/नियुक्ति पत्र, विधिक कार्यवाही आदि प्रशासनिक कार्यों का सम्पादन मुख्य न्यासी अध्यक्ष अथवा न्यासी प्रबंधक द्वारा की जायेगी।
13. न्यास की प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये प्रयोग की जायेगी तथा भविष्य में न्यास द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित की जायेगी उसके बाबत भी यह शर्तें लागू होगी।

पृष्ठ विलेख 58,59

आवेदन सं०: 201900898029050

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 182 वर्ष: 2019

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्रीमती नीलमराज एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा मुख्य न्यासी एवं अध्यक्ष मनीठाकुर, पुत्री श्री स्व०छोटेलाल सिंह

निवासी: एस- 789 सत्यप्रेमीनगर शहर व पर० व तह०नवाबगंज जि०बाराबंकी

व्यवसाय: व्यापार

Mani Thakur

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री रवीश कुमार श्रीवास्तव , पुत्र श्री आनन्द नारायण श्रीवास्तव

निवासी: 88 मिर्जा टिम्बर के पास उत्तर टोला नई बस्ती बंकी जि०बाराबंकी

व्यवसाय: अन्य

Ramesh

पहचानकर्ता : 2

श्री रत्नाकर श्रीवास्तव , पुत्र श्री राजेश श्रीवास्तव

निवासी: देवी मन्दिर के पास बडेल नवाबगंज जि०बाराबंकी

व्यवसाय: अन्य

रत्नाकर श्रीवास्तव

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

(प्र०) एस० बी० सिंह
उप निबंधक : सदर
बाराबंकी

वीना झां .
निबंधक लिपिक

(16)

यह विलेख आज दिनांक 18.12.2019 को समक्ष गवाहान निष्पादित किया गया है।

दिनांक 18.12.2019

Mani Shankar

गवाह नं0–1 रवीश कुमार श्रीवास्तव पुत्र आनन्द नारायण श्रीवास्तव निवासी– 88 मिर्जा टिम्बर के पास उत्तर टोला नई बस्ती बंकी जिला बाराबंकी
आ0का0नं0–9766 1289 9582
मोबाइल नं0–9918249100

गवाह नं0–2 रत्नाकार श्रीवास्तव पुत्र राजेश श्रीवास्तव निवासी– देवी मन्दिर के पास बडेल नवाबगंज जिला बाराबंकी
आ0का0नं0–[illegible] 0470
मो0नं0–8853473363

मसविदाकर्ता

प्रसून मिश्र एडवोकेट
सिविल कोर्ट, बाराबंकी

आवेदन सं०: **201900898029050**

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 212 के पृष्ठ 21 से 52 तक क्रमांक 182 पर दिनाँक 23/12/2019 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(प्र०) एस० बी० सिंह
उप निबंधक : सदर
बाराबंकी
23/12/2019

उपनिबंधक ... उत्तर प्रदेश